



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025

पौष 9, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2930/वि०स०/संसदीय/95(सं)/2025

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन)

विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
- (3) यह दिनांक 19 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-26, सन् 1962 की धारा 1 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 1 में,— (क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्:— “संक्षिप्त नाम और विस्तार” (ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।
धारा 2 का संशोधन	3- मूल अधिनियम की धारा 2 में— (क) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:— “(4) वाणिज्य अधिष्ठान का तात्पर्य निम्नलिखित से है— (एक) कोई भी परिसर, जो किसी कारखाने या दुकान का परिसर नहीं है, जिसमें कोई व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक या सहायक कोई भी कार्य लाभ के लिए किया जाता है और इसमें ऐसा परिसर भी सम्मिलित है जिसमें पत्रकारिता या मुद्रण कार्य या बैंकिंग, बीमा, स्टॉक और शेयर, ब्रोकरेज या उत्पाद विनिमय का कारबार किया जाता है या जिसका उपयोग थिएटर, सिनेमा या किसी अन्य सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन के लिए किया जाता है या जहां किसी कारखाने का लिपिकीय और अन्य अधिष्ठान, जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, कार्य करते हैं; (दो) किसी भी चिकित्सा व्यवसायी (अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, प्रसूति गृह और ऐसे अन्य सहित), वास्तुकार, कर सलाहकार या किसी अन्य तकनीकी या वृत्तिक परामर्शदाता, सेवा प्रदाता या सेवा मंच और वितरण सेवाएं प्रदान करने वाले अधिष्ठान आदि; (तीन) ऐसे अन्य अधिष्ठान जिन्हें राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक अधिष्ठान घोषित करे; (ख) खंड (6) में, उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:— “(घ) बाह्य सेवा प्रदाता अभिकरण के माध्यम से अभिनियोजित कोई व्यक्ति जो भाड़े या पारिश्रमिक पर कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन की निबन्धन स्पष्ट या विवक्षित हों;”
धारा 3 का संशोधन	4- मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में,— (क) खंड (ड) निकाल दिया जायेगा; (ख) खंड (च) में, प्रतीक “ . ”, के स्थान पर प्रतीक “ ; ” रख दिया जाएगा; (ग) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:— “(छ) बीस से कम कर्मचारी नियोजन वाले दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान।”
धारा 4(ख) का संशोधन	5-मूल अधिनियम की धारा 4-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:— 4-ख- (1) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी, जहां रजिस्ट्रीकरण बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे कारबार के प्रारंभ होने के छः माह के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभागीय वेब-पोर्टल पर अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान की प्रकृति केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी विभाग के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, तो आवेदक को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने उक्त विभाग या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शी सिद्धान्तों का, यदि कोई हो, विहित फीस के भुगतान के साथ अनुपालन किया है/करेगा। यदि आवेदन पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो विभागीय वेब-पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को उसके ई-मेल पर प्रेषित कर दिया जाएगा:

परन्तु यह कि आवेदक द्वारा उक्त रजिस्ट्रीकरण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या छिपाकर या जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है तथा ऐसे आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ विभागीय वेब-पोर्टल पर यथाविहित ऐसी फीस संलग्न होगी।”

6- मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:- धारा 6 का संशोधन

कार्य के घंटे और 6(1) कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी से किसी भी दिन अतिकाल से अधिक कार्य करने की अपेक्षा या उसे अनुमति नहीं देगा :-

(क) तरुण व्यक्ति होने की दशा में छह घंटे; और
(ख) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में नौ घंटे;

परन्तु यह कि ऐसे कर्मचारी से, जो तरुण न हो, एक सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घण्टे के अध्यक्षीन किसी भी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या अनुमति दी जा सकती है। तथापि अतिकाल सहित कार्य के कुल घण्टों की संख्या स्टॉक लेने या लेखा-जोखा बनाने के दिन के सिवाय किसी भी एक दिन में ग्यारह घण्टे से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अतिकाल कार्य के कुल घण्टों की संख्या किसी भी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: 'तिमाही' का तात्पर्य 1 जनवरी या 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की निरन्तर अवधि से है।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्धारित कार्य के घंटों से अधिक कार्य किया है, उसके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक अतिकाल कार्य के लिए साधारण दर से दुगुनी दर पर मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-1: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'साधारण दर' का तात्पर्य आधारीक मजदूरी तथा ऐसे भत्तों से हैं, जिसमें खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की रियायती बिक्री के माध्यम से कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ के समतुल्य नकद राशि भी सम्मिलित है, जिसका कर्मचारी तत्समय हकदार है, किन्तु इसमें बोनस सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण-2: किसी कर्मचारी को अतिकाल कार्य के लिए संदेय मजदूरी की गणना करने में एक दिन को कार्य के नौ घंटे गिना जाएगा।

7-मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:- धारा 22 का संशोधन

“रात्रि के दौरान महिलाओं के 22-कोई भी नियोक्ता, यह समाधान होने पर कि उसकी दुकान नियोजन पर प्रतिषेध या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, भोजन कैंटीन सुविधा, विश्राम कक्ष, रात्रिकालीन शिशुगृह, महिला शौचालय, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके संबंधित निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में काम करने वाली महिलाओं की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उन्हें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति दे सकता है”।

8-मूल अधिनियम की धारा 28-क की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढा दी जाएंगी, अर्थात्-

“(7) प्रत्येक नियोक्ता को खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सभी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था करनी होगी।

(8) दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान में नियुक्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा, जिसमें कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, अर्हता (जैसे कुशल/अकुशल/अर्ध-कुशल), पद का नाम, वेतन/मजदूरी, मोबाइल फोन नंबर, आधार संख्या, पद की प्रकृति आदि जैसी जानकारी होगी।”

धारा 6 का संशोधन

धारा 22 का संशोधन

धारा 28-क का संशोधन

धारा 33 का संशोधन

9-मूल अधिनियम में, धारा 33 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाएगी, अर्थात्:-

“(2) निरीक्षक, धारा 20 की उपधारा (1) को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व, नियोक्ता को पंद्रह दिन की लिखित सुधार सूचना के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने का अवसर देगा और यदि नियोक्ता ऐसी अवधि के भीतर निर्देश का अनुपालन करता है, तो निरीक्षक नियोक्ता के विरुद्ध ऐसी अभियोजन कार्यवाही आरम्भ नहीं करेगा। नियोक्ता को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जायेगा, यदि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई धाराओं और नियमों के समान प्रकृति का उल्लंघन, उस दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर दोहराया जाता है, जिस दिन ऐसा पहला उल्लंघन किया गया था और ऐसे मामलों में अभियोजन अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरम्भ किया जाएगा।”

धारा 35 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

दण्ड 35- इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपए तक और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपए तक हो सकेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

11-(1) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 16 सन्
2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी। मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की शर्तों के विनियमन से सम्बंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1962) अधिनियमित किया गया है।

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने; इससे सम्बंधित उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने शास्ति की मात्रा बढाने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4-ख, 6, 22, 28-क, 33 और 35 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया, ताकि पूर्वोक्त अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सके और इसका भयोपराधी प्रभाव भी हो।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

अनिल राजभर

मंत्री,
श्रम।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

धारा 1 का पार्श्व शीर्षक	संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रसार और प्रवृत्ति
धारा 1	(3) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में उस मात्रा में प्रवृत्त होंगे जिसका कि निर्देश उस अनुसूची में किया गया है और राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति देकर, समय-समय पर, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों के संबंध में और उतनी मात्रा में भी प्रवृत्त होंगे, जिसका कि निर्देश उस विज्ञप्ति में किया जाय।

धारा 2	(4) "वाणिज्य-अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी भू-गृहादि से है जो, फैक्टरी के भू-गृहादि या दुकान न हों और जहां कोई व्यापार, कारोबार, निर्माण (manufacture) या उससे सम्बद्ध अथवा उसका आनुषांगिक या सहायक कोई काम लाभ के लिये किया जाता हो और इसके अन्तर्गत ऐसे भू-गृहादि भी हैं जहां पत्रकारिता या मुद्रण का कार्य अथवा रुपये के लेन-देन, बीमा, स्टाफ तथा अंश, दलाली या उत्पाद-विनिमय का कारोबार किया जाता हो अथवा जो थियेटर या सिनेमा के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होता हो अथवा जहां फैक्टरी के लिपिक तथा अन्य कर्मचारीगण, जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों, कार्य करते हों;

धारा 3(1)	(ड) अस्वस्थ, अशक्त, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के उपचार या उनकी देखभाल के लिए अधिष्ठान, और

धारा 4(ख)	<p>(1) ऐसे दुकान या वाणिज्यिक का प्रत्येक स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, अपनी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरीक्षक को आवेदन करेगा और यदि उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो, तो उस दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण यथाविहित रीति से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से एक दिन से भीतर प्रदान किया जायेगा:</p> <p>परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या स्वीकृति करने के लिए आपत्ति करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो रजिस्ट्रीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय से पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।</p> <p>(1-क) आवेदक अपना आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा:</p> <p>परन्तु यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, अकृत एवं शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी:</p> <p>परन्तु यह और कि स्वीकृत किये गये रजिस्ट्रीकरण पर विचार, दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र</p>

	<p>में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय ।</p> <p>(3) मुख्य निरीक्षक अपना यह समाधान होने पर कि नियत फीस जमा कर दी गई है, धारा 4-क के अधीन रखे गये रजिस्टर में दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान को दर्ज करेगा और स्वामी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे रीति से, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा ।</p>

धारा 6	<p>(1) कोई नियोजक किसी कर्मचारी से एक दिन में उसके—</p> <p>(क) बच्चा होने की दशा में पांच घंटे;</p> <p>(ख) तरुण होने की दशा में छः घंटे; और</p> <p>(ग) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में आठ घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं करेगा और न उसे उससे अधिक काम करने देगा :</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर्मचारी से जो तरुण या बच्चा न हो, उपर्युक्त समय से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या उसे उक्त समय से अधिक काम करने दिया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार कि स्टाक सम्हालने या लेखा तैयार करने के दिन के सिवाय किसी अन्य दिन काम का कुल समय (जिसमें अधिसमय भी सम्मिलित है) दस घंटे से अधिक न हो :</p> <p>प्रतिबन्ध यह भी है किसी तिमाही में अधिसामयिक (overtime) काम का समय एक सौ पच्चीस घंटे से अधिक न होगा ।</p> <p>स्पष्टीकरण—“तिमाही” का तात्पर्य पहली जनवरी या पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली तीन मास की निरन्तर अवधि से है ।</p> <p>(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निश्चित काम के समय के अतिरिक्त काम किया हो उसके नियोजक द्वारा, ऐसे अतिरिक्त समय के काम के प्रत्येक घंटे के लिए साधारण दर की दुगुनी दर से मजदूरी दी जायगी ।</p> <p>स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “साधारण दर” का तात्पर्य आधारभूत मजदूरी तथा ऐसे भत्ते से है (जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य पदार्थों की रियायती दर पर बिक्री से होने वाले लाभ के बराबर नकदी भी है), जो कर्मचारी तत्समय पाने का हकदार हो किन्तु इसके अन्तर्गत बोनस नहीं है ।</p> <p>स्पष्टीकरण 2—कर्मचारी को अधिसामयिक (overtime) काम के लिए देय मजदूरी की गणना करने में एक दिन काम के आठ घंटों का माना जायगा ।</p>

धारा 22	<p>यदि किसी नियोजक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु सदन, महिला प्रसाधन, उनकी सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह स्त्री कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे रात्रि 9:00 बजे और प्रातः 6:00 बजे के मध्य कार्य करने दे सकता है ।</p>

धारा 33	प्रत्येक व्यक्ति जो, धारा 20 की उपधारा (1) के उपबन्धों से भिन्न, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे या उनका अनुपालन न करे, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।

धारा 35	इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा जो प्रथम अपराध के लिये एक सौ रुपये तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

—————
UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
—————

No. 289/XC-S-1-25-36S-2025
Dated Lucknow, December 30, 2025
—————

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Vidheyak, 2025 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 22, 2025.

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2025

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025.

Short title,
extent and
commencement

(2) It shall extend to whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of November, 2025.

Amendment of Section 1 of U.P. Act no. 26 of 1962	<p>2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan Adhiniyam, 1962 (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 1,—</p> <p>(a) <i>for</i> the marginal heading, the following marginal heading shall be <i>substituted</i>, namely:—</p> <p>"Short title and extent" ;</p> <p>(b) sub-section (3) shall be <i>omitted</i>.</p>
Amendment of Section 2	<p>3. In Section 2 of the principal Act,—</p> <p>(a) <i>for</i> clause (4), the following clause shall be <i>substituted</i>, namely:—</p> <p>"(4) 'commercial establishment' means,—</p> <p>(i) any premises, not being the premises of a factory, or a shop, wherein any trade, business, manufacture, or any work in connection with, or incidental or ancillary thereto, is carried on for profit and includes a premises wherein journalistic or printing work, or business of banking, insurance, stocks and shares, brokerage or produce exchange is carried on, or which is used as theatre, cinema or for any other public amusement or entertainment, or where the clerical and other establishment of a factory, to whom the provisions of the Factories Act, 1948, do not apply, work;</p> <p>(ii) establishment of any medical practitioner (including hospitals, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others), architect, tax consultant or any other technical or professional consultant, service providers or establishment providing service platform and delivery services, <i>etc.</i>;</p> <p>(iii) such other establishments as the State Government may, by notification in the <i>Official Gazette</i>, declare to be a commercial establishment for the purpose of this Act ; " ;</p> <p>(b) in clause (6), <i>after</i> sub-clause (c), the following sub-clause shall be <i>inserted</i>, namely :—</p> <p>"(d) a person engaged through an outsourcing agency employed to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied;" .</p>
Amendment of Section 3	<p>4. In sub-section (1) of Section 3 of the principal Act,—</p> <p>(a) clause (e) shall be <i>omitted</i> ;</p> <p>(b) in clause (f), <i>for</i> the symbol " . " , the symbol " ; " shall be <i>substituted</i> ;</p> <p>(c) <i>after</i> clause (f), the following clause shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>"(g) shops or commercial establishment employing less than twenty employees." .</p>
Amendment of Section 4-B	<p>5. <i>For</i> Section 4-B of the principal Act, the following section shall be <i>substituted</i>, namely:—</p> <p>"Registration 4-B. (1) Every owner of a shop or commercial establishment, where twenty or more employees are working, within six months of the commencement of such business, shall submit an application for registration of his shop or commercial establishment on the departmental web-portal along with the necessary documents.</p> <p>If the nature of the shop or commercial establishment falls under the regulatory domain of any department of the Central/State Government, as the case may be, the applicant shall submit an affidavit that he has/will comply with the rules, regulations, notifications, guidelines issued or to be issued by the said department or authority, if any, with the prescribed payment of fees.</p>

If the application is complete and applicant is eligible, automatic registration shall be granted by the departmental web-portal and registration certificate shall be sent to the applicant on his e-mail:

Provided that if the said registration is obtained by the applicant by misrepresentation or concealment of facts or on the basis of forged documents, such registration shall be deemed null and void and may be cancelled by Registering Officer and legal action may be taken against such applicant:

Provided further that the registration certificate issued under this Section shall not be a proof of ownership of shop or commercial establishment.

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be in such form and shall be accompanied by such fees as prescribed on the departmental web-portal."

6. For Section 6 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

Amendment
of Section 6

"Hours of work and overtime 6. (1) No employer shall require or allow an employee to work on any day for more than,—

(a) six hours in the case of a young person; and

(b) nine hours in the case of any other employee:

Provided that any employee, not being a young person, may be required or allowed to work in any shop or commercial establishment for more than nine hours in any day subject to a maximum of forty-eight hours in a week. Howsoever, that the total number of hours of work including overtime shall not exceed eleven hours on any one day except on a day of stock-taking or making of accounts:

Provided further that the total number of hours of overtime work shall not exceed one hundred and forty four hours in any quarter.

Explanation: 'Quarter' means a period of three consecutive months beginning on the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October.

(2) An employee, who has worked in excess of the hours of work fixed under clause (b) of sub-section (1), shall be paid by his employer, wages at twice the ordinary rate, for every overtime work.

Explanation-1: For the purpose of this sub-section, 'ordinary rate' means the basic wages plus such allowances, including the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to employees of food grains and other Articles, as the employee is for the time being entitled to, but does not include bonus.

Explanation-2: In calculating the wages payable to an employee for overtime work, a day shall be reckoned as consisting of nine working hours. " .

7. For Section 22 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

Amendment
of Section 22

"Prohibition on employment of women during night 22. Any employer, on being satisfied that the provision of shelter, food canteen facility, rest room, night creche, ladies' toilets, adequate protection of their safety, and their transportation from the shop or commercial establishment to their respective residences exists in his shop or commercial establishment, may, after obtaining the consent of the women working in such shop or commercial establishment, allow them to work between 7 p.m. and 6 a.m." .

Amendment of Section 28-A	<p>8. In Section 28-A of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be <i>inserted</i>, namely:-</p> <p>"(7) Every employer shall provide adequate sitting arrangements for all employees obliged to work in a standing position.</p> <p>(8) Every employer of a shop and commercial establishment shall issue a letter of appointment to every employee on his/her appointment in the shop and commercial establishment with information such as employee's name, father's name, date of birth, qualification (like skilled/unskilled/semi-skilled), name of the post, salary/wages, mobile phone number, Aadhaar number, nature of the post, <i>etc.</i>".</p>
Amendment of Section 33	<p>9. In the principal Act, Section 33 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and <i>after</i> the sub-section as so renumbered, the following sub-section shall be <i>inserted</i>, namely:-</p> <p>"(2) The Inspector shall, before initiation of prosecution proceeding for the offences under this Act except sub-section (1) of Section 20, give an opportunity to the employer to comply with the provisions of the Act by way of a fifteen days written improvement notice, and, if the employer complies with the direction within such period, the Inspector shall not initiate such prosecution proceeding against the employer. No such opportunity shall be accorded to an employer, if the violation of the same nature of the sections and rules made under this Act is repeated within a period of five years from the date on which such first violation was committed; and in such case, the prosecution shall be initiated in accordance with the Act and orders issued by the State Government from time to time. "</p>
Amendment of Section 35	<p>10. <i>For</i> Section 35 of the principal Act, the following Section shall be <i>substituted</i>, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">35. Any person guilty of an offence under this Act shall be liable to "Punishment fine which may, for the first offence, extend to two thousand rupees and, for every subsequent offence, to ten thousand rupees."</p>
Repeal and saving	<p>11. (1) The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Ordinance, 2025 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 16 of 2025</p> <p>(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.</p>

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962 (Uttar Pradesh Act no. 26 of 1962) has been enacted to consolidate and amend the law relating to the regulation of conditions of work and employment in the shops and commercial establishments across the State of Uttar Pradesh.

In order to safeguard health, safety and welfare of the personnel currently working in shops and commercial establishments; to ensure compliance with the provisions related thereto; to increase the quantum of the penalty so that the aforesaid Act can be effectively implemented and it can also have a deterrent effect, it was decided to amend Sections 1, 2, 3, 4-B, 6, 22, 28-A, 33 and 35 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 16 of 2025) was promulgated by the Governor on 19th November, 2025.

This Bill seek to replace the aforesaid Ordinance.

ANIL RAJBHAR
Mantri,
Shram.

By order,
J.P. Singh-II,
Pramukh Sachiv.